राजस्व वाद संख्या : 07 / 2020
जीसीएमएस वाद संख्या : 2020 / 00016
किशोरीलाल बनाम जगमाल आदि
दिनांक :–17.08.2023

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 07 / 2020

1. किशोरीलाल पुत्र कुन्दन जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

.... वादी

ब–ना–म

1. जगमाल पुत्र हरदेवा जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

.........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

:: निर्णय :: **दिनांक : 17.08.2023**

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

(क) ग्राम ढाणी दौचाना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता सं. 104 के हाल ख.नं. 449 / 51 रकबा 0.11 है. के खातेदार कास्तकार किशोरीलाल पुत्र कुन्दन हिस्सा 2 / 11 भाग का अलग से खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) कि वाके ग्राम ढाणी दौचाना स्थित भूमि खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 0.15 है. के खातेदार कास्तकार किशोरीलाल पुत्र कुन्दन हिस्सा 4 / 15 भाग का अलग से खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 पेश की। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05 [illegible] किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार [illegible] हाना [illegible] कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 18.04.2023 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादी ने न्यायालय [illegible] उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन [illegible] हैं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे। अतः वाद वादी डिक्री [illegible] न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:30:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 07/2020
जीसीएमएस वाद संख्या : 2020/00016
किशोरीलाल बनाम जगमाल आदि
दिनांक :—17.08.2023

आदेश

न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी दौचााना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के नया खाता सं. 104 के खसरा नंबर 449/51 रकबा 0.11 है. एवं खाता खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.15 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 17/8/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:30:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या : 07 / 2020
जीसीएमएस वाद संख्या : 2020 / 00016
किशोरीलाल बनाम जगमाल आदि
दिनांक :–17.08.2023

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.
मुकदमा नंम्बर– 07 / 2020
निणय दिनांक :– 17.08.2023

किशोरीलाल पुत्र कुन्दन जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

.... वादी

ब–ना–म

1. जगमाल पुत्र हरदेवा जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत –खाता विभाजन,

वादी की ओर से **श्री विजयपाल यादव एडवोकेट** की उपस्थिीत मे तथा प्रतिवादीगण की अनपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **17.08.2023** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी दौचााना तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के नया खाता सं. 104 के खसरा नंबर 449 / 51 रकबा 0.11 है. एवं खाता खाता संख्या 103 के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.15 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:30:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)